

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721

E-mail : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in

क्र.एफ 5/अभि/सीटीएडी/सुपोषण वाटिका/2020-21/65 63-93 दिनांक : 22-02-21

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा)
अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, टोंक,
बून्दी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर
कोटा, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़,
जोधपुर, पाली, करौली, राजसमन्द एवं सवाईमाधोपुर।

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर/प्रतापगढ़/बांसवाड़ा/डूंगरपुर/आबूरोड
(सिरोही)।

विषय :-जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं
आश्रम छात्रावासों में सुपोषण वाटिका एवं पंचफल उद्यान विकसित करने
हेतु राशि हस्तांतरण की संशोधित स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के द्वारा
संचालित आवासीय विद्यालयों एवं आश्रम छात्रावासों में सुपोषण वाटिका एवं पंचफल उद्यान
विकसित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय पत्रांक 227-56 दिनांक
04.01.2021 द्वारा जारी की गयी एवं राशि की व्यवस्था निम्नानुसार की गयी थी-

1. उपायुक्त टीएडी को पूर्व में शासन की स्वीकृति संख्या 22/2017-18 से
हस्तांतरित राशि रु 40.50 लाख में से उपलब्ध बचत राशि रु. 34.95 लाख
2. आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध कृषि विभाग भीलवाड़ा से प्राप्त
राशि रूपये 82.57 लाख।

आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में कृषि विभाग भीलवाड़ा से प्राप्त राशि रूपये
82.57 लाख में राशि रूपये 17.45 लाख ही उपलब्ध है। अतः संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार
संबंधित जिलों में राशि हस्तांतरण की संशोधित स्वीकृति निम्नांकित शासन की स्वीकृतियों
में से करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र सं.	शासन की स्वीकृति	राशि
1	44/2019-20 (SCA-REV)	27.58 लाख
2	52/2019-20 (Scattered)	21.03 लाख
3	कृषि विभाग भीलवाड़ा से प्राप्त राशि में से उपलब्ध राशि	17.45 लाख
4	उपायुक्त टीएडी को पूर्व में शासन की स्वीकृति संख्या 22/2017-18 से हस्तांतरित राशि में से उपलब्ध बचत राशि	34.95 लाख

जिन छात्रावासों में विभागीय पत्रांक 3878-99 दिनांक 03.02.2021 (प्रति संलग्न)
द्वारा 10,000 लिटर क्षमता का आर.सी.सी. टैंक (ओ.एच.एस.आर.) निर्माण की प्रशासनिक
एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है उनमें मॉडल ऐस्टिमेट अनुसार पानी की सुविधा
हेतु अन्य मेसनरी टैंक का निर्माण नहीं किया जावे। दोहरा व्यय होने पर संबंधित तकनीकी
कर्मचारी एवं वार्डन की जिम्मेवारी होगी।

nutrition garden 2020-21

क्रमशः-2